न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 103/2016

1. अमनदीपसिंह
2. समनदीपसिंह
3. गुरशरणसिंह

} पिसरान शीतलसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. शीतल सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजीतसिंह अधिवक्ता — वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 9-5-2017

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 अपनें पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

वादीगण के दादा स्व. आत्मासिंह पुत्र दिवानसिंह के नाम से चक 18 जैड तहसील गंगानगर के खाता संख्या 4 मुरब्बा नम्बर 23 की 25.00 बीघा मय खाला तथा खाता संख्या 41 मुरब्बा नम्बर 25 के 12.05 बीघा में से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज कागजात राज थी जैसा कि इन्तकाल संख्या 105 जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल है, आत्मासिंह के देहान्त के उपरान्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरास्तन दर्ज की गई जो क वर्तमान में निम्न प्रकार से दर्ज है, जो कि रेशमकौर बेवा आत्मासिंह के साथ विभाजन के उपरान्त दर्ज हुई है।

चक 18 जैड तहसील गंगागनर के खाता संख्या 56/42 मुरब्बा नम्बर 23 का किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13/.190, 16, ता 25 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 16/.084 कुल 5.587 हैक्टर नहरी मय खाला दर्ज कागजात है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त आराजी जद्दी जायदाद होनें से वादीगण का पिता के साथ जन्म से हक हिस्सा होनें से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है।

यह कि प्रतिवादी कुछ गलत लोगों के प्रभाव में है तथा वह उससे भूमि को मुन्तकिल करवाकर सस्ते में ही प्राप्त करे अनुचित लाभ उठाना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि दर्ज होनें के से प्रतिवादी भी इसका अनुचित लाभ उठाकर रकबा को गलत तौर

लगातार 2

से मुन्तकिल करना चाहता है। यदि वह इसमें सफल होता है, तो वादीगण को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा उनको जबरन ही बेदखल किया जावेगा क्योकि कब्जा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 का मुश्तरका चला आ रहा है। इससे बिना वजह ही मुकद्मा बाजी बढेगी अतः वादीगण के लिये अपनें अणिकारों की घोषणा करवाना तथा किला वाईज विभाजन करवाया जाना आवश्यक है।

आराजी जद्दी जायदाद होनें से प्रतिवादी केवल मात्र अपना हिस्सा ही मुन्तकिल कर सकता है समस्त आराजी को कसी प्रकार से मुन्तकिल करनें का हकदार कानुनन नहीं है वह वादीगण के हिस्सा की भूमि को अन्य किसी को मुन्तकिल नहीं कर सकता है।

अतः चक 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/42 मुरब्बा नम्बर 23 व 25 की कुल 5.587 हैक्टर नहरी मय खाला जो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा होनें से बहिस्सा बराबर बराबर बनाता है यानि वादीगण 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हकदार होनें की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

उक्त खाता की आराजी का खाता विभाजन अच्छी व माड़ी के हिसाब से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में करवाया जाकर वादीगण के 3/4 हिस्सा को किला वाईज करते हुए अलग खाता कायम कर दर्ज करनें का मामला लगान वादीगण के नाम से दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.06.2016 को वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 नें राजीनामा मय शपथ जरिये वादीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि पंचायत के द्वारा हमारा आपसी राजीनामा करवा दिया है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस बराबर के हकदार है, इसलिये वादी तथा प्रतिवादीगण इस प्रकरण को लोक अदालत की भावना से डिक्री करवानें के लिये सहमत हो गये है।

अतः राजीनामा के अनुसार चक 18 जैड तहसील गंगागनर के खाता संख्या 56/42 मुरब्बा नम्बर 23 व 25 की कुल 5.587 हैक्टर जद्दी जायदाद है, जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के मालिक व हिस्सेदार है प्रत्येक वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा बनता है इसी अनुसार डिक्री कर दिया जावे।

दिनांक 30.06.2016 को स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का आपसी पैतृक भूमि के विभाजन का विवाद है। पैतृक साबित करनें का भार वादी का है। राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं होनें तथा दिनांक 27.06.2016 को राजीनामा तथा दिनांक 07.09.2016 को साक्ष्य पेश करनें के कारण कोई प्रतिवाद नहीं होनें से दिनांक 20.09.2016 को बहस सुनी जाकर दिनांक 10.10.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया।

उक्त आदेश की पालना में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 जैड में आयोजित शिविर में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 01 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया

विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही भूमि का विभाजन करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष की सहमति के अनुसार वादी वादी स्वीकार किये जानें पर वाद पत्र विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादीगण अमनदीपसिंह, समनदीपसिंह, गुरशरणसिंह पिसरान शीलतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. अमनदीपसिंह पुत्र शीतलसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
18 जैड	56	23	1/.253, 2/.253, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253,	1.518 हैक्टर

2. समनदीपसिंह पुत्र शीतलसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
18 जैड	56	25	2/.253, 3/.253, 8/.253, 9/.253, 12/.253, 16/2 का 0.084,	1.349 हैक्टर

3. गुरशरणसिंह पुत्र शीतलसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
18 जैड	56	23	16/.253, 17/.253, 18/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.253,	1.518 हैक्टर

4. शीतल सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
18 जैड	56	23	19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253, 13/1 का .190,	1.202 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 जैड में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर